

27-10-21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलार्थ एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलार्थ ने प्रकरण में No instruction लीड किया है। प्रकरण में अपीलार्थस के नाम से रुक-रुक कर आवाज लगाई गयी, किंतु वे अनुपस्थित है। अतः यह अपील अभिभाषक अपीलार्थ द्वारा No instruction लीड करने तथा अपीलार्थस के अनुपस्थित रहने के कारण अपील अदम होजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली कार तरीक तकमील दायिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

No instruction
दीए गए
CS-2021

॥
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर